"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 जनवरी 2007—माघ 7, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2007

आदेश

क्रमांक 921/247/21-ब/छ. ग./07.— कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का क्रमांक 66) की धारा 4 के उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सहमति छत्तीसगढ़ शासन एतद्द्वारा सारिणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की सेवायें उच्च न्यायालय से वापस लेती है और उन्हें कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करती है :-

क्रमांक (1)	न्यायिक अधिकारियों के नाम एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2)	न्यायालय का नाम (3)
1.	श्री सी. बी. एस. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर (दन्तेवाड़ा)	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.
2.	श्री टी. के. झा, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर.	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.

(1)	(2)	(3)
3.	श्री आई. एस. उबोवेजा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा)	तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.

Raipur, the 24th January 2007

ORDER

No. 921/247/XXI-B/C. G./07.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 4 of Family Court Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State of Chhattisgarh hereby, in concurrence with the High Court of Chhattisgarh withdrawing the services of the members of Higher Judicial Service specified in column No. (2) of the Schedule from High Court, appoints them in the Family Courts specified in column No. (3). They are directed to take over the charges in the Family Court by 5th February, 2007 :-

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present place of posting (2)	Name of the Court (3)
1.	Shri C. B. S. Patel, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara)	I Additional Principal Judge, Family Court, Durg.
2.	Shri T. K. Jha, II Additional District & Sessions Judge, Raipur.	II Additional Principal Judge, Family Court, Durg.
3.	Shri I. S. Uboweja, District & Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha)	III Additional Principal Judge, Family Court, Durg.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2007.